

निदेशालय, स्वास्थ्य सेवाएँ,
बिहार, पटना
आदेश

स0रा0-11/फिजियो(स्था0)-09/2025-.. (11)/ पटना, दिनांक- / /2025

विभागाध्यक्ष-सह-नियंत्रण पदाधिकारी, बिहार कॉलेज ऑफ फिजियोथेरापी एव अकुपेशनल थेरापी, विकलांग भवन अस्पताल, ककडबाग, पटना के द्वारा अग्रसारित श्रीमती सुभद्रा कुमारी, सह प्राध्यापक अकुपेशनल थेरापिस्ट, बिहार कॉलेज ऑफ फिजियोथेरापी एव अकुपेशनल थेरापी, विकलांग भवन, ककडबाग, पटना के द्वारा समर्पित अभ्यावेदन पर सम्यक विचारोपरांत बिहार सेवा राहिता के नियम 74(बी0) सहपठित वित्त विभागीय पत्राक-6190, दिनांक-27.04.1979 में निहित प्रावधान के आलोक में आदेश निर्गत की तिथि से इस शर्त के साथ ऐच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती है कि ऐच्छिक सेवानिवृत्ति के पूर्व या पश्चात् श्रीमती सुभद्रा कुमारी, सह प्राध्यापक अकुपेशनल थेरापिस्ट, के विरुद्ध किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता का विषय सज्ञान में आता है या ये दोषी पाए जाते हैं तो इनकी सेवानिवृत्ति लागों से उसकी भरपाई की जा सकेगी। साथ ही सेवा काल में यदि कोई सेवा अवधि अविनियमित रही हो तो उसके विनियमन का दावा विभाग में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

2 श्रीमती सुभद्रा कुमारी, सह प्राध्यापक अकुपेशनल थेरापिस्ट, भविष्य में बिहार सरकार की सेवा में पुनर्नियोजन/सविदागत नियोजन के पात्र नहीं होंगे।

ह0/-

(डॉ० विनोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख,

(मानसिक रोग, आपदा प्रबंधन, खाद्य एवं औषधि नियंत्रण)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-11/फिजियो(स्था0)-09/2025- 428(11)/ पटना, दिनांक-02/06/2025

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एव ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, वित्त (मुद्रणालय शाखा) विभाग, पटना/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना/विभागाध्यक्ष-सह-नियंत्रण पदाधिकारी, बिहार कॉलेज ऑफ फिजियोथेरापी एव अकुपेशनल थेरापी, विकलांग भवन अस्पताल, ककडबाग, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- श्रीमती सुभद्रा कुमारी, सह प्राध्यापक अकुपेशनल थेरापिस्ट, बिहार कॉलेज ऑफ फिजियोथेरापी एव अकुपेशनल थेरापी, विकलांग भवन, ककडबाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9 10-02/2025
निदेशक प्रमुख,

(मानसिक रोग, आपदा प्रबंधन, खाद्य एवं औषधि नियंत्रण)

✓ स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।